

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

प्रा.पत्र / 52 / 2022

ए.यू.सॉल फाइनेन्स बैंक लि (पूर्व में ए.यू. फाइनेन्सेस (इंडिया) लि रजिस्टर्ड
ऑफिस-19-ए, धूलेश्वर गार्डन अजमेर रोड जयपुर 302001 तथा ऑफिस- सिरा
फ्लोर सन्नी ट्रेड सेन्टर न्यू आतिश मार्केट, जयपुर 302020 जरिये प्राधिकृत
अधिकारी मानसिंह भीणा,

....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1-मेघराज पुत्र शिवराम, निवासी- शेखपुर नगर भरतपुर 321205 एवं अन्य पता
ग्राम पंचायत पट्टा नम्बर 17 शेखपुरा नगर जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी ऋणी

2-विष्णु जी पुत्र शिव राम , निवासी शेखपुरा खाखावली भरतपुर 321001

.....सहऋणी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड
रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट
ऑफ इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संबोधित
किया गया है बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश

दिनांक 28-6-2023

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी० अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय
अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002
के तहत विरुद्ध अप्रार्थी० ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर
निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी० ने दिनांक 20.10.2020 को प्रार्थी बैंक से
300000/- (तीन लाख) रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा
के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत पट्टा न.17 गांव
शेखपुरा तहसील नगर जिला भरतपुर क्षेत्रफल 275 वर्ग गज को प्रार्थी बैंक के
हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी० के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं
कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 10-10-2021 को
एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक
13-10-2021 तक 282379/- रुपये ब्याज एवं अन्य खर्च अप्रार्थी० पर बकाया
निकलता है। जिसको अप्रार्थी० ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक

.....2

प्रा.पत्र / 52 / 2022

(2) ए.यू. स्मॉल फाइनेन्स बैंक लि. बनाम मेघसिंह

द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 13-10-2021 को वकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त वकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी 0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा- 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 13-10-2021 को अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई हैं। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण अदायगी नहीं की गई हैं। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बावजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया / ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी 0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत पट्टा न. 17 गांव शेखपुरा तहसील नगर जिला भरतपुर क्षेत्रफल 275 वर्ग गज जिसके पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में स्वय की भूमि, उत्तर में स्वय की भूमि, दक्षिण में भूमि सुली खा है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।



(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर